


सुभाष v/s भूप सिंह कोटह मु.न- 90A(9)क 6/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
4.10.23	<p>आज यह पत्रावली अभिभाषक श्री मदन सुरोलिया द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट व रैस्पोंडेंट (दोनों पक्षों में) राजीनामा हो गया है, इसलिए अपीलान्ट अब यह अपील आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः पत्रावली जरिये विद्वा दाखिल दफ्तर फरमाई जावे।</p> <p>हमने अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। यह अपील प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका भादरा के आदेश दिनांक 20.01.2023 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलान्ट जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट व रैस्पोंडेंट (दोनों पक्षों में) राजीनामा हो जाने के कारण अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं तथा विद्वा करना चाहते हैं। अतः अपील अपीलान्ट जरिये विद्वावल इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> संभागीय आयुक्त बीकानेर</p>	<p>सुभाष</p> <p>Madan Surolia Adv.</p>